



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में 'जहां है जैसी है जो है जैसी है' के आधार पर निम्नलिखित संपत्तियों की नीलामी कर रहा है।

अचल संपत्तियों का विवरण

ऋणी/निदेशक/जमानतदार का नाम तथा शाखा का नाम	13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/ बोली वृद्धि राशि	खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड
1. मैसर्स सियाराम सिटी केब्स लिमिटेड, 2. श्री सतीश चन्द कट्टा पुत्र हरी नारायण कट्टा 3. श्रीमती सुमन देवी कट्टा पत्नी श्री सतीश चन्द कट्टा 4. सुनिता शेखावत पुत्री प्रहलाद सिंह शेखावत 5. श्री सतीश चन्द कट्टा पुत्र श्री हरी नारायण कट्टा 6. श्री जानकी शरण कट्टा पुत्र श्री हरी नारायण कट्टा	रु. 2,04,96,935/- (रूपये दो करोड़ चार लाख छियानवे हजार नौ सौ पैंतीस मात्र)+ दिनांक 11.05.2019 से प्रभावी ब्याज + अन्य प्रभार	संपत्ति सं. 1:- संपत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जिसमें श्रीमती सुमन देवी कट्टा पत्नी श्री सतीश चन्द कट्टा के स्वामित्व में आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 18, ख्वास जी का बाग, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान) में स्थित, कुल क्षेत्रफल 201.50 वर्गगज, जिसकी सीमाए- पूर्व- मोक्षधाम एवं वन विभाग की भूमि, पश्चिम- रोड़, उत्तर- रोड़, दक्षिण -प्लॉट नं. 19 संपत्ति सं. 2:- संपत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जिसमें श्री जानकी शरण कट्टा पुत्र श्री हरी नारायण कट्टा के स्वामित्व में आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 22, ख्वास जी का बाग, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान) में स्थित, कुल क्षेत्रफल 169.72 वर्गगज, जिसकी सीमाए- पूर्व- मोक्षधाम एवं वन विभाग की भूमि, पश्चिम- प्लॉट नं. 24, उत्तर- प्लॉट नं. 21, दक्षिण- रास्ता।	सम्पत्ति सं. 1 रु. 84,50,000/- सम्पत्ति सं. 2 रु. 60,50,000/- सम्पत्ति सं. 1 रु. 8,45,000/- सम्पत्ति सं. 2 रु. 6,05,000/- रु. 20,000/-	खाता सं. 3054010323 IFSC Code: CBIN 0281478

ई-नीलामी की नियम व शर्तें:- 1. नीलामी ऑनलाईन ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> पर होगी। नीलामी की दिनांक एवं समय: 06.09.2019 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे के मध्य (बन्द होने के अंतिम 5 मिनट की स्वतः समयावृद्धि वाक्यांश के साथ) ई-नीलामी 'जहां है जैसी है वहां जो कुछ भी है' के आधार पर होगी। 2. वेब पोर्टल पर बोली तथा कागजी प्रतियां शाखा में जमा कराने हेतु अंतिम दिनांक 04.09.2019 को सांय 04:00 बजे तक होगी। 3. नीलामी/बोली प्रक्रिया ऑनलाईन इलैक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> पर होगी। बोलीदाताओं को ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया की विस्तृत शर्तों हेतु वेबसाइट के जरिये जाने की सलाह दी जाती है। 4. इच्छुक बोलीदाता को अपने नाम को पार्टल <https://www.bankeauctions.com> पर पंजीकृत कर तथा निशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता ई-नीलामी हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण मैसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुड़गांव, श्री विनोद चौहान सम्पर्क सं. 09813887931 से प्राप्त कर सकते हैं गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुड़गांव हेल्पलाईन नं. +91-1244302020/21/22/23/24, Help Line e-mail ID: support@bankeauctions.com 5. धरोहर राशि RTGS/NEFT/Fund Transfer के जरिये दिनांक 04.09.2019 तक या उससे पूर्व निम्न दिये गये विवरण के अनुसार संबंधित खाते में जमा की जायेगी। 6. बोलीदाता के द्वारा वेबपोर्टल में पंजीकरण के उपरान्त, इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को वेबपोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजा की प्रतियां बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक से पूर्व अपलोड करनी आवश्यक है यथा 1. NEFT/RTGS चालान की प्रति 2. पैन कार्ड की प्रति 3. पहचान का साक्ष्य (KYC) स्वहस्ताक्षरित वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड इत्यादि की प्रति 4. पते के साक्ष्य की प्रति जिसके बिना बोली निरस्त किये जाने योग्य होगी। 7. धरोहर राशि सफलतम/उच्चतम बोलीदाता की दशा में समायोजित कर ली जायेगी अन्यथा विक्रय सम्पूर्ण होने के 7 दिवसों के भीतर लौटा दी जायेगी धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 8. इच्छुक बोलीदाता संपत्तियों का निरीक्षण स्थान पर दिनांक 03.09.2019 को प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे के मध्य संबंधित शाखा के माध्यम से कर सकते हैं। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से उपरोक्तानुसार शुरू होगी। बोलीदाता जो उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) ऑनलाईन नीलामी बन्द होने तक जमा करायेगा उसे प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर सफलतम बोलीदाता घोषित किया जायेगा। 10. सफलतम बोलीदाता बोलीराशि का 25% (पूर्व में भुगतान की गई धरोहर राशि को शामिल करते हुए) उसके पक्ष में विक्रय होते ही तुरन्त तथा शेष राशि विक्रय पुष्टिकरण के 15 दिवसों के भीतर जमा करवायेगा। यदि सफलतम बोलीदाता उपरोक्तानुसार विक्रय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। 11. समस्त प्रभार किसी भी अधिकरण को बकाया, परिवहन, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीकरण के खर्च इत्यादि जो भी लागू होते हैं सफलतम बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे। 12. यदि ऋणी बैंक को कुल बकाया राशि का सम्पूर्ण भुगतान नीलामी की दिनांक से पूर्व कर देता है तो संबंधित नीलामी रोक दी जायेगी/निरस्त कर दी जायेगी। 13. बैंक नीलामी की नियम तथा शर्तों में बिना कोई कारण बताये स्थगन/रद्द करने का अधिकार आरक्षित रखता है। 14. संपत्ति सं संबंधित जानकारी एवं अन्य विवरण हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया जयपुर शाखा, श्री अचल सिंह चौहान शाखा प्रबंधक मो. 9672993105 अथवा मैसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुड़गांव से सम्पर्क कर सकते हैं।

सरफैसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिवस की वैधानिक विक्रय सूचना

ऋणीयों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि का नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ ई-नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि कोई है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी।

दिनांक: 20.08.2019, स्थान: जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया